पत्रांक– वित्त(SFC)–12/24......258/वि0आ0

झारखण्ड सरकार

राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक......20-12-24

प्रेषक,

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
वित्त विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उक्त विषय के क्रम में कहना है कि 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों को कतिपय सूचनाएं प्रतिवेदन में समाहित करने का निदेश देने की कृपा की थी। संबंधित की पुष्टि 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा भी की गयी है। इस क्रम में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है :–

i. Direct Transfer of funds to Local Bodies (ULBs& PRI)
ii. Nature and Size of Transfers;
iii. Actual Outgo to LBs
iv. Direct Absorption by States of Local Body Expenditures (Salaries, Pensions and Other Liabilities)
v. Guarantees Provided by State Governments on Behalf of LBs

2. उक्त के अतिरिक्त कतिपय सूचनाएं पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य विभागों से भी अपेक्षित है। उन्हें समय समय पर स्मारित भी किया गया है, परन्तु अभी तक संबंधित प्रतिवेदन विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है।

3. आयोग के सामान्य क्रियाकलाप में अभी भी मानव संसाधनों का आभाव बना हुआ है। इस संबंध में पदों के सृजन की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करना उचित होगा। साथ ही साथ सामाग्री/उपकरण का भी आभाव बना हुआ है। यद्यपि वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। इससे भी कार्य प्रभावित हो रहा है।

4. आयोग द्वारा अन्य राज्यों का भ्रमण प्रक्रिया भी प्रारंभ करने वाला है। पूर्व के कर्नाटक राज्य का कार्यक्रम स्थगित हुआ था। इसकी सूचना वित्त विभाग तथा मुख्य सचिव को दी गई थी। आयोग द्वारा प्रायः सभी पत्राचार की प्रतिलिपि भी वित्त विभाग को प्रेषित की जाती है।

5. किसी पदाधिकारी को **नोडल पदाधिकारी** नामित करते हुए, नोडल पदाधिकारी का नाम / पदनाम / मो0 नं0 / ई–मेल उपलब्ध कराना चाहेंगे, जो वित्त विभाग से संबंधित सूचना प्रदान करने तथा समन्नवय करने हेतु आयोग से सतत सम्पर्क में रहें।

विश्वासभाजन,

ह0/ 19/12/2024

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।